


उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-58(ए)/छ:-पु0-9-19-31(07)/2016
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2019

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 1971) में संशोधन की संशोधित अधिसूचना संख्या-58/छ:-पु0-9-19-31(07)/2016 दिनांक 26.02.2019 की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त परिशिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- (11) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
- (12) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in) पर निर्गमन हेतु।
- (13) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें और पांच-पांच प्रतियां शासन तथा प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (14) गार्ड फाइल।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag-9**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 58/VI-P-9-19-31(07)/2016 dated February 26 ,2019

NOTIFICATION

(Miscellaneous)

No:-58/VI-P-9-19-31(07)/2016

Lucknow: Dated: February 26 , 2019

In exercise of the powers conferred under clause (a) of section-2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act No.8 of 1971), the Governor is pleased to empower all ADMs (Executive), all ADMs (Finance and Revenue), all ADMs (City), all ADMs (Judicial) and all Chief Revenue Officers/ADMs (Land Revenue) to exercise the power of District Magistrate conferred under the said Act within their respective districts.

By order



(Arvind Kumar)
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-58/छ:-पु0-9-19-31(07)/2016
लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2019

अधिसूचना
प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) और समस्त मुख्य राजस्व अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) को अपने-अपने जिलों के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करते हैं।

आज्ञा से


(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।